न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 171/2025

रामलाल पुत्र रेखाराम, जाति माली, निवासी पौंख, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं राज0
——अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयुपरवाटी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं राज0
——रेस्पोडेन्ट

———

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 11.12.2024 न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम रामलाल मुकदमा नं0 32/2024 अन्तर्गत धारा 91 एल0आर0 एक्ट

———

उपस्थित :—

1. श्री फूलचन्द सैनी, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 09.12.2025

प्रस्तुत अपील तहसीलदार, उदयपुरवाटी के आदेश दिनांक 11.12.2024 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 एवं प्रार्थना पत्र स्थगन के पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणवगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट की ओर से अपील निम्न प्रकार प्रस्तुत है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पौंख की सरहद में भूमि खसरा नं0 452 रकबा 0.3900 है0 किस्म गैर मुमकिन पहाड़ में से रकबा 0.0195 है0 थी जिस पर अपीलान्ट के पिता दादाजी का मौके पर कब्जा था जो सन् 1950 से निरन्तर चला आ रहा था अपीलान्ट के पिता ने उक्त भूमि पर कच्ची छप्पर एवं पक्का मकान बनाकर निवासी करता आ रहा है तथा अपने पूर्वजों के समय ही पक्के मकान बना लिये थे तथा अपने परिवार सहित रहता आ रहा है तथा उक्त मकानों में बिजली पानी का कनेक्शन भी ले रखा है यानि कि अपीलान्ट उक्त भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से यानि गत 75 साल से अधिक समय से पीढी दर पीढी काबिज व आबाद चला आ रहा है। इस तरह से अपीलान्ट ने कोई नया अतिक्रमण नहीं किया है तथा अपीलान्ट रामलाल सैनी को ग्राम पंचायत पौंख, पंचायत समिति उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं द्वारा दिनांक 20.05.1996 से उक्त भूमि पर पट्टा संख्या 24 वर्ष 1995—96 को 277 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया है जो कि अपील के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें उत्तर दिशा में आम रास्तां, पूर्व में सेडमाई का मन्दिर, पश्चिम दिशा में सुरजाराम की हवेली, दक्षिण दिशा में पहाड़ दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत पौंख के सरपंच ने भी शपथ पत्र दिया है कि रामलाल पुत्र रेखाराम, जाति माली, निवासी ढाणी बालुहाला, ग्राम पौंख, तहसीलद उदयपुरवाटी ने भूमि खसरा नं0 452 में पूर्व रामलाल के पिता रेखाराम के द्वारा कच्चे मकान छप्पर/छान/झूपा बनाकर 70—75 वर्षों से सपरिवार रह रहा है जिसका पट्टा ग्राम पंचायत पौंख द्वारा पट्टा संख्या 24 दिनांक 20.05.1996 में जारी किया गया है तथा संवत् 2064 से 2067 की जमाबन्दी में भी रामू पुत्र रेखा हिस्सा 1/2 जाति माली सा0 देह खातेदार दर्ज है किन्तु राजस्व अधिकारियों ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना उक्त खसरा नं0 452 को किस्म गैर मुमकिन पहाड़ के नाम से गलत दर्ज कर दिया। अपीलान्ट को उसके कब्जे/काश्त उक्त भूखण्ड से बेदखल करने की धमकियां दी है अपीलान्ट को उसके कब्जे काश्त से रेस्पोडेन्ट द्वारा विधि विरुद्ध रूप से अपीलान्ट को बेदखल किया जाता है तो अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी भरपाई किसी भी रूप में संभव नहीं है। अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर लगभग 70—80 वर्ष से मकानात बनाकर परिवार सहित आबाद है किन्तु अपीलान्ट की

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

कब्जा की भूमि को विधि विरुद्ध रूप से राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने की वजह से अपीलान्ट को बेदखल करने पर आमादा है। निर्णय दिनांक 11.12.2024 को वाके ग्राम पौंख पटवार हल्का पौंख के हाल भूमि खसरा नं0 452 कुल रकबा 0.3900 है0 किस्म गैर मुमकिन पहाड़ में से 0.0195 है0 सरकार भूमि पर अतिकमी रामलाल पुत्र रेखाराम, जाति माली, निवासी पौंख को बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। उक्त आदेश रेस्पोडेन्ट का निर्णय/आदेश काबिले नहीं होने से खारिज किया जाता है। माननीय न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 11.12.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट की ओर से यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है कि अदालत मातहत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व रिकॉर्ड का अवलोकन किए बिना ही आदेश पारित किया है। अपीलान्ट/प्रार्थी के उनवानी प्रकरण में आगामी तारीख 30.12.2024 थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने दिनांक 11.12.2024 को ही अपीलान्ट/अप्रार्थी की अनुपस्थिति दिखाकर उक्त पत्रावली का ठीक से गौर न कर अपीलान्ट के खिलाफ निर्णय पारित कर दिया गया है। अपीलान्ट के पूर्वज करीब 70–80 वर्ष से इस भूमि पर काबिज है पक्के मकानात बनाकर तथा जमाबन्दी संवत् 2064–2067 में अपीलान्ट का नाम रामू पुत्र रेखा दर्ज है तथा अपीलान्ट के पूर्वजों को व अपीलान्ट को उक्त भूमि से आज तक किसी के भी द्वारा कोई बेदखल की कार्यवाही नहीं की गई है। उक्त भूमि खसरा नं0 452 में निरन्तर परिवार सहित काबिज रहे है इन तथ्यों पर गौर नहीं कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। अपीलान्ट का नाम सम्वत् 2064–67 तक की जमाबन्दी में दर्ज चलता आ रहा था लेकिन कृषि भूमि के नये सेटलमेन्ट द्वारा खसरा नं0 452 कुल रकबा 0.3900 है0 किस्म गैर मु0 पहाड़ अंकित दर्ज कर दिया गया जिस पर अपीलान्ट का व उनके पूर्वजों का कब्जा चला आ रहा है किन्तु राजस्व अधिकारियों ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उक्त खसरा नं0 452 गै0मु0 पहाड़ किस्म में गलत दर्ज कर दिया गया जिसकी वजह से कब्जे शुदा भूमि से बेदखल करने की धमकियां दी जा रही है इन सभी तथ्यों पर गौर नहीं कर विधि विरुद्ध आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने आदेश दिनांक 11.12.2024 पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को ना तो सुनवाई का मौका दिया व ना ही साक्ष्य प्रस्तुत करने व जिरह का अवसर दिये बिना ही एकतरफा आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर व अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.12.2024 निरस्त फरमाया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व रिकॉर्ड का अवलोकन किए बिना ही आदेश पारित किया है। अपीलान्ट/प्रार्थी के उनवानी प्रकरण में आगामी तारीख 30.12.2024 थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने दिनांक 11.12.2024 को ही अपीलान्ट/अप्रार्थी की अनुपस्थिति दिखाकर उक्त पत्रावली का ठीक से गौर न कर अपीलान्ट के खिलाफ निर्णय पारित कर दिया गया है। अपीलान्ट के पूर्वज करीब 70–80 वर्ष से इस भूमि पर काबिज है पक्के मकानात बनाकर तथा जमाबन्दी संवत् 2064–2067 में अपीलान्ट का नाम रामू पुत्र रेखा दर्ज है तथा अपीलान्ट के पूर्वजों को व अपीलान्ट को उक्त भूमि से आज तक किसी के भी द्वारा कोई बेदखल की कार्यवाही नहीं की गई है। उक्त भूमि खसरा नं0 452 में निरन्तर परिवार सहित काबिज रहे है इन तथ्यों पर गौर नहीं कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। अपीलान्ट का नाम सम्वत् 2064–67 तक की जमाबन्दी में दर्ज चलता आ रहा था लेकिन कृषि भूमि के नये सेटलमेन्ट द्वारा खसरा नं0 452 कुल रकबा 0.3900 है0 किस्म गैर मु0 पहाड़ अंकित दर्ज कर दिया गया जिस पर अपीलान्ट का व उनके पूर्वजों का कब्जा चला आ रहा है किन्तु राजस्व अधिकारियों ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उक्त खसरा नं0 452 गै0मु0 पहाड़ किस्म में गलत दर्ज कर दिया गया जिसकी वजह से कब्जे शुदा भूमि से बेदखल करने की धमकियां दी जा रही है इन सभी तथ्यों पर गौर नहीं कर विधि विरुद्ध आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने आदेश दिनांक 11.12.2024 पारित करने से

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

पूर्व अपीलान्ट को ना तो सुनवाई का मौका दिया व ना ही साक्ष्य प्रस्तुत करने व जिरह का अवसर दिये बिना ही एकतरफा आदेश पारित किया है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर व अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.12.2024 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने ग्राम पौंख स्थित हाल भूमि ख0न0 452 रकबा 0.3900 है0 किस्म गै0मु0 पहाड मे से 0.0195 है0 भूमि पर मकान बनाकर अवैध अतिक्रमण किया गया है। विवादित भूमि सरकारी भूमि है जिस पर अपीलान्ट का अवैध कब्जा है। अदालत मातहत ने नियमानुसार आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम पौंख स्थित हाल भूमि ख0न0 452 रकबा 0.3900 है0 किस्म गै0मु0 पहाड मे से 0.0195 भूमि पर अतिक्रमी माना है। अपीलान्ट का अहम तर्क यह रहा है कि अपीलान्ट 70 वर्ष से उक्त विवादित भूमि पर काबिज है। दूसरी अदालत मातहत ने अपने निर्णय दिनाक 11.12.2025 मे अपीलान्ट का अतिक्रमण के रूप मे नवीन निर्माण बताया गया है। अपीलान्ट अपने कब्जे के समर्थ मे कोई पट्टा या वैध दस्तावेज पेश नही कर पाया जिससे यह साबित होता हो कि विवादित भूमि उसके स्वामित्व की भूमि रही है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट की यह अपील उचित प्रतीत नही होती है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जाती है। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं